



माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर के

निग १२६ / ३१५३-प०२-१५

प्रकरण क्रमांक 1767-पी.बी.आर./13

श्रीमती मधुबाला पति ज्ञानप्रकाश निरोले

निवासी- डी.एम.३७,३८ सुखलिया, हीरा नगर इंदौर।

—प्रार्थी

विरुद्ध

1. डॉ. अमजद अली पिता मो. असगर अली
2. आफताब अली पिता डा. अमजद अली
पता- 15, बजरिया मेनरोड इंदौर
3. करणसिंह पिता भागीरथ
अम्बाराम पिता भागीरथ

निवासी- ग्राम असरावद खुर्द तहसील व जिला इंदौर

— प्रत्यर्थागण

आवेदन पत्र प्रकरण को पुर्नस्थापित किये जाने बाबद

प्रार्थी की ओर से निवेदन है कि :-


- 1- यह कि, प्रार्थी के द्वारा श्रीमान् के समक्ष श्रीमान् अपर आयुक्त महोदय इंदौर संभाग इंदौर द्वारा प्रकरण क्रमांक 143/निगरानी/08-09 में दिनांक 30/03/2013 को पारित आदेश के विरुद्ध निगरानी प्रस्तुत की गई। जो प्रकरण क्रमांक 1767 पी.बी.आर./13 पर पंजीबद्ध होकर उक्त प्रकरण में प्रार्थी की जानकारी के बगैर अनुपस्थिति में दिनांक 19/10/2015 को पारित आदेश के द्वारा निरस्त कर दिया गया।

(Handwritten signature)

(Handwritten notes and signatures)
आज दि. 12-11-15 को
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

(Handwritten notes and signature)
डी. के. पासी (एड.)
राजस्व मण्डल, मोतीमहल, म.प्र.
ग्वालियर मो.: 9753356530

Resto 3753-PM/15 इंग

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि के हस्ताक्षर
3.12.2015	<p>आवेदक की ओर से श्री जी० जी० शुक्ल अभिभावक उपस्थित। तर्क दुने गये। अनुपाधिकता का कारण समाधान - कार्य होने से सख प्रमाण पूर्वस्थापित किया जाता है। इस प्रमाण में कोई कार्यवाही नहीं होने से समाप्त किया जाता है।</p> <p style="text-align: right;"> अध्याक्ष</p>	<p style="text-align: right;">R 1767-PM/13 C.F. 15(3)/16</p>

Handwritten signature